संख्या–6738/23–7–2006–176(सा0)/06

प्रेषक,

सदा कान्त,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता (विकास/ग्रामीण सड़क/परि0 एवं नि0),
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
(2) समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीखक,
उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 5 जनवरी, 2007

विषयः– **प्रदेश में माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु रिट याचिका सं0–5018/एमएस/2005 चन्द्रिका प्रसाद निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका सं0–5153/एमएस/2005 भोला नाथ निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–11–06 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका सं0–5018/एमएस/2005 चन्द्रिका प्रसाद निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका सं0–5153/एमएस/2005 भोला नाथ निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–11–06 के अनुपालन एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–4435/छः–पु–14–06–50(7)/2006, दिनांक 02–11–06 में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित विन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–6738/23–7–2006– 176(सा0)/06, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 जारी कर दिया गया है जिसमें सभी विन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. लोक निर्माण विभाग के कार्यो/निर्माण परियोजनाओं का ठेका किसी भी अपराधी व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो अथवा जिसके विरूद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा जो माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रकिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित रहेगा। जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं वे भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

3. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा अन्य संभावित निविदाकर्ताओं को धमकाया जा रहा है अथवा उन्हें निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकृत ठेके को निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः निविदा करके पूरी कार्यवाही की जायेगी। किसी ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है और जॉच में प्रमाणित पाया जाता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो तथा संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओं नोटिस अवश्य दिया जायेगा।

4. लोक निर्माण विभाग में प्रचलित चरित्र प्रमाण–पत्र और हैसियत प्रमाण–पत्र प्रासंगिक नहीं रह गये थे। अतः उन्हे निरस्त करते हुए नये प्रपत्र तैयार कर दिये गये हैं, जो संलग्न हैं। चरित्र प्रमाण–पत्र **PWD-T-4** तथ्या हैसियत प्रमाण–पत्र **PWD T-5** के नाम से जाने जायेंगे। दोनों प्रमाण–पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

5. लोक निर्माण विभाग में जो भी व्यक्ति अथवा संस्था ठेकेदारी का कार्य करना चाहेगी उसे स्वघोषणा–पत्र देना अनिवार्य होगा। यह स्वघोषणा शपथ–पत्र **PWD T-6** के नाम से जाना जायेगा। यह स्वघोषणा शपथ–पत्र 100/– रूपये (रू0 एक सौ) के Stamp paper पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर दिया जायेगा। यह स्वघोषणा शपथ–पत्र अनुबन्ध का अनिवार्य अंग है। बिना इसके कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6. लोक निर्माण विभाग में कराये जाने वाले कार्यो तथा संबंधित टेण्डरों/अनुबन्धों का विवरण विभागीय वेवसाइट (**http://upgov.up.nic.in/ infotech/**) पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था अवश्य की जाय। इस संबंध में लोक निर्माण अनुभाग–1 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश शासनादेश संख्या–2487/23–1–2006, दिनांक 03 नवम्बर, 2006 द्वारा जारी कर दिये गये हैं। इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. लोक निर्माण विभाग में रूपये एक लाख से अधिक लागत वाली सभी कार्यों/निर्माण परियोजनाओं से संबंधित मुख्य विन्दुओं अर्थात परियोजना का नाम, स्वीकृति एवं लागत पर धन आवंटन अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने एवं कार्य समाप्त होने की तिथि, ठेकेदार का नाम एवं पता तथा कार्य की तकनीकी विशिष्टियों आदि विभागीय वेवसाइट (**http://upgov.up.nic.in/ infotech/**) पर अवश्य प्रदर्शित की जाय तथा इसका प्रचार–प्रसार अन्य माध्यमों से भी किया जाय।

8. उपरोक्त जानकारी विभागीय वेवसाइट पर डालने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड का होगा। जनपद में स्थित लोक निर्माण विभाग के अन्य खण्डों का उत्तरदायित्व होगा कि वे अनुबन्धों से संबंधित सूचनाएं वेवसाइट पर डालने हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड को सूचना समय से उपलब्ध करा देंगे। संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता और क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे समय–समय पर वेवसाइट को देखकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी टेण्डर वेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. द्वितीय चरण में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों और सभी अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करने और वहाँ पर इन्टरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यवस्था अलग से की जायेगी। तब तक विभागीय उपरोक्त वेवसाइट का उपयोग किया जाय।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में सभी टेण्डरों को निदेशक, सूचना को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है। सभी टेण्डर निदेशक, सूचना की वेवसाइट (**http://upgov.up.nic.in/ infotech/**) पर अवश्य प्रदर्शित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त निदेशक, सूचना द्वारा सभी प्रमुख समाचार पत्रों में भी टेण्डर का प्रकाशन किया जाता है। यह व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगा। इसका उद्देश्य यह है कि विभागीय टेण्डर और उसकी कार्य प्रणाली का व्यापक प्रचार–प्रसार हो सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

11. लोक निर्माण विभाग में पूर्व में प्रचलित टेण्डर फार्म के प्रारूपों में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। पूर्व में विभाग में प्रचलित प्रपत्र **GPW-8, GPW-9** तथा **MF-69/70, MF-79/97** तथा **MF-72** को एतद्द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। उपरोक्त सभी प्रपत्र बहुत पुराने हो गये थे और अब यह प्रासंगिक नहीं रह गये थे। इनके स्थान पर तीन नये प्रपत्र लागू किये जा रहे हैं। इनका विवरण क्रमशः इस प्रकार है:–

(i) प्रपत्र संख्या–**PWD-T-1** यह प्रपत्र चालीस लाख रूपये तक की धनराशि के कार्यो/निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा। इसकी प्रति संलग्न है।

(ii) प्रपत्र संख्या–**PWD-T-2** यह प्रपत्र चालीस लाख से अधिक की धनराशि के कार्य/निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा। इसकी प्रति संलग्न है।

(iii) प्रपत्र संख्या–**PWD-T-3** यह प्रपत्र सामग्री की आपूर्ति के लिए उपयोग में लाया जायेगा। इसकी भी प्रति संलग्न है।

12. इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात् विभागीय कार्यो के लिए जो भविष्य में टेण्डर आदि आमंत्रित किये जायेंगे उसमें यह नई व्यवस्था लागू होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है अथवा टेण्डर आदि की कार्यवाही हो गई है वह पुरानी व्यवस्था से ही पूरे किये जायेंगे। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष 2007–08 में अर्थात 01 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष में इस नई परिवतर्तित व्यवस्था के अनुसार ही पूरी कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

13. टेण्डर की बिकी तथा जमा किये जाने की कार्यवाही निम्न 04 स्थानों से की जायेगीः (1) संबंधित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जहाँ से कार्य/निर्माण परियोजनाओं को सम्पादित किया जाना है। (2) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय (3) संबंधित मुख्य अभियन्ता कार्यालय (4) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का कार्यालय (कलेक्ट्रेट)। उपरोक्त 04 स्थानो से टेण्डर फार्म की बिकी एवं जमा किये जाने की कार्यवाही होगी। इसके अतिरिक्त विभागीय वेवसाइट से लोड करके भी फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे।

14. इसके लिए टेण्डर फार्म की बिकी तथा जमा किये जाने के लिए उपरोक्त सभी कार्यालयों में एक विशेष स्थान निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना जनसामान्य को रहेगी और वहाँ नोटिस बोर्ड पर भी इसे प्रदर्शित किया जायेगा। कलेक्ट्रेट में इस कार्य के लिए अलग से स्थान निर्धारित करते हुए कर्मचारियों की ड्यिूटी भी जिलाधिकारी द्वारा लगाई जायेगी। कलेक्ट्रेट में इसका सुपरविजन अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

15. पैरा–12 में वर्णित चार स्थानों में टेण्डर की बिकी और जमा करने की कार्यवाही की जायेगी किन्तु निविदा प्रपत्रों को खोलने की कार्यवाही केवल एक ही स्थान पर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय/कलेक्ट्रेट में ही की जायेगी। निविदा प्रपत्रो को खोलने के समय संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता अवश्य उपस्थित रहेंगे। आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जायेगी और एक पूर्णतया सुरक्षित स्थान पर यह सब कार्यवाही टेण्डरदाताओं की उपस्थिति में एक बड़े हाल में की जायेगी। संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक निविदा खोलने के समय स्वयं उपस्थित रहेंगे। पूरी कार्यवाही पारदर्शी तरीके से पब्लिकली होगी। इस कार्य के लिए एक अपर जिलाधिकारी को अलग से प्रभारी नामित किया जायेगा जिसकी देखरेख में यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

16. कलेक्ट्रेट में निविदा खोलने के पश्चात् यथासंभव उसपर निर्णय तुलनात्मक चार्ट आदि बनाकर सबके सामने सक्षम अधिकारी द्वारा ले लिया जायेगा और इस जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जायेगा। विभागीय नियमों के अन्तर्गत टेण्डर खोलने की कार्यवाही एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें संबंधित अधिशासी अभियन्ता, दूसरे खण्ड के एक अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित अधीक्षण अभियन्ता सदस्य होते हैं। यह समिति पूर्ववत् रहेगी। किन्तु कलेक्ट्रेट में निविदा खोलने की कार्यवाही उपरोक्त समिति के करने के पश्चात् संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा एक अपर जिलाधिकारी जिन्हें प्रभारी बनाया जायेगा, उनके द्वारा तुलनात्मक चार्ट तथा अन्य अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे। अभिलेखों की पवित्रता (Sanctity) पर विशेष ध्यान दिया जाय।

17. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् सभी अभिलेखों को प्राप्त करने की कार्यवाही और औपचारिकतायें आदि पूरी करने की कार्यवाही यथाशीघ्र संबंधित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में विभागीय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। किन्तु प्रत्येक दशा में यह औपचारिकताएं 15 दिनों में अवश्य पूरी कर ली जायेंगी। यदि इससे अधिक विलम्ब होता है तो इसके लिये जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियन्ता की होगी। अतः समय से सारी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता भी विलम्ब के लिए दोषी माने जायेंगे।

18. टेण्डर को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने अथवा उसपर अन्तिम निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से अभियन्ताओं को अधिकृत किया गया है:

अधिकारी	कार्य की लागत
सहायक अभियन्ता	रू0–02.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
अधिशासी अभियन्ता	रू0–40.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
अधीक्षण अभियन्ता	रू0–01.00 करोड़ तक की लागत वाले कार्य।
मुख्य अभियन्ता	रू0–01.00 करोड़ से ऊपर की लागत वाले कार्य।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–ए–2–1602/दस–95–24(14)95, दिनांक 01 जून, 1995 उल्लेखनीय है। इसका कठोरता से पालन किया जाय। रू0–40.00 लाख तक के कार्यो के लिए 10% जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा की जायेगी। रू0–40.00 लाख से ऊपर के कार्यो हेतु 5% जमानत राशि निविदा के समय ही जमा की जायेगी। यह अनिवार्य है।

19. अनेकों ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति दिखते हुए हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं। कई बार एक ही हैसियत प्रमाण–पत्र का उपयोग कई टेण्डरों में किया जाता है। अतः सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि हैसियत प्रमाण–पत्र बहुत गहराई से छानबीन और जॉच के पश्चात् जारी किया जाय। कुछ प्रमाण पत्रों को समय–समय पर उच्चस्तरीय टीम गठित करके जॉच भी करायी जाती रहे। इन हैसियत प्रमाण–पत्र का बैंक से और आयकर विभाग से पुष्टि भी करायी जाये।

.....6/–

20. किसी भी अधिवक्ता को जो राज्य बॉर कौंसिल में पंजीकृत हो लोक निर्माण विभाग के कार्यो को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। राज्य बॉर कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी का कार्य करने की अनुमति अधिवक्ता अधिनियम में नहीं है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग न करने पाये। उनके आवेदन/टेण्डर फार्म सीधे निरस्त कर दिये जायें। यदि ठेका/पट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है तो भी ऐसा ठेका/पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाय।

21. कभी–कभी ठेकेदारों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Unhealthy Comptition) के कारण कार्य की अनुमानित लागत से काफी नीचे की बोली/दरे दे दी जाती हैं। ऐसी दशा में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर कम दरें दी जा रही हैं और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ और मानकों के अनुरूप कार्य पूरा किया जाना संभव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से इसका विस्तृत विवरण मॉगे कि वह क्यों इतनी कम दरें दे रहा है और इतनी कम लागत पर उस परियोजना को कैसे पूरा कर सकेगा। यदि इस आशंका की पुष्टि हो जाती है कि ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो वह मेरिट के आधार टेण्डर को निरस्त कर सकते हैं। किन्तु इस संबंध में एक तथ्यात्मक और Speaking order पास करेंगे जिसमें सभी तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा कि टेण्डर को क्यों निरस्त किया जा रहा है।

22. सामान्यतः यह भी देखने में आता है कि अभियन्ताओं द्वारा जानबूझकर एक कार्य को छोटे–छोटे कार्यो में विभाजित करके कम लागत के बहुत से अनुबन्ध बना दिये जाते हैं। इसके कारण जहॉ बहुत से ठेकेदार एक कार्य में लगाये जाते हैं वहीं पर गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। सामान्यतः इसका उद्देश्य बहुत से ठेकेदारों को समायोजित करने का रहता है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी मूल (Original) कार्यो के लिए सामान्यतः एक कार्य एक टेण्डर का सिद्धान्त अपनाया जाय। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में छोटे टेण्डर करने की आवश्यकता होती है तो अधिशासी अभियन्ता की तथ्यात्मक रिपोर्ट और स्पष्ट संस्तुति के आधार पर इसका निर्णय संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा लिया जायेगा। मुख्य अभियनता द्वारा इस संबंध में न्यूनतम दो पृष्ठों का सुविचारित और Speaking order पास किया जायेगा कि ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है। उसमें अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख किया जायेगा। यह व्यवस्था विभागीय हॉटमिक्स प्लान्ट, नवीनीकरण, पैच रिपेयर तथा अनुरक्षण आदि पर लागू नहीं होगी।

23. लोक निर्माण विभाग के कार्यो/निर्माण परियोजनाओं का ठेका प्राप्त करने के लिए वर्तमान में विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही अधिकृत हैं। यह व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी। लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विभाग के कार्यो को करने तथा ठेका प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

24. उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि राज्य के विकास और निर्माण कार्यो पर अपराधिक गतिविधियों का दुष्प्रभाव न पड़े और वे विकास में बाधक न बनें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सदा कान्त)
सचिव